रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2006/श्रावण 9, 1928
No. 344] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2006/SRAVANA 9, 1928

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 452(अ).— केन्द्रीय सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(i) खंड (क) को खंड (ककक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित (ककक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'(क) "अधिनियम" से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) अभिप्रेत है ;

(कक) "प्राधिकरण" से भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ककक) "प्रसारणकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कोई व्यष्टि, व्यक्तियों का समूह, पब्लिक या निगमित निकाय, फर्म या कोई संगठन अथवा निकाय भी है, जो कार्यक्रमण सेवाएं प्रदान कर रहा है और उसके अंतर्गत उसका प्राधिकृत वितरण अभिकरण भी हैं ;' ।

(ii) उपखंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'(डड) "मल्टी-सिस्टम आपरेटर(एमएसओ)" से ऐसा केबल आपरेटर अभिप्रेत है जो किसी प्रसारणकर्ता और/या उसके प्राधिकृत अभिकरणों से कार्यक्रमण सेवा प्राप्त करता है और उसे पुनःपारेषित करता है या

साथ-ही-साथ या तो बहु-अभिदातओं द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए अपनी स्वयं की कार्यक्रमण सेवा को सीधे पारेषित करता है अथवा एक या अधिक स्थानीय केबल आपरेटरों के माध्यम से पारेषित करता है और उसके अंतर्गत उसके प्राधिकृत वितरण अभिकरण भी हैं, जिन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो ;

(ङङ) "अधिसूचित क्षेत्र" से अधिनियम की धारा 4क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;' ।

3. (i) मूल नियमों के नियम 7 में, उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(11) किसी भी कार्यक्रम में प्रतिघंटे के बारह मिनट से अधिक विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रतिघंटे दस मिनट तक वाणिज्यिक विज्ञापन और प्रतिघंटे दो मिनट तक चैनल के स्वयं के संवर्धनकारी कार्यक्रम होंगे ।"

4. मूल नियमों के नियम 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"**9. अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के लिए मानक अंतरसंबंध करार, टैरीफ और सेवा मानकों की क्वालिटी** : प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4क के अधीन किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, निम्नलिखित बातों के संबंध में समुचित विनिश्चय ले सकेगा और उन्हें सम्यक् रूप से अधिसूचित कर सकेगा :-

(क) पे चैनल या फ्री टू एयर चैनलों के अधिसूचित क्षेत्रों में वितरण के लिए (i) प्रसारणकर्ताओं और मल्टी सिस्टम आपरेटरों ; और (ii) मल्टी सिस्टम आपरेटरों और स्थानीय केबल आपरेटरों के बीच वाणिज्यिक करार किए जाने के लिए प्रयुक्त मानक अंतर संबंध करार ;

(ख) अधिसूचित क्षेत्रों में मल्टी सिस्टम आपरेटरों द्वारा किराए के आधार पर अभिदाताओं को विहित विनिर्देशों के सेट टॉप बॉक्सों के प्रदाय, रखरखाव और सर्विसिंग के लिए प्रतिभूति निक्षेप और मासिक किराए की अधिकतम सीमाएं ;

(ग) अधिसूचित क्षेत्रों में अभिदाताओं को मल्टी सिस्टम आपरेटरों/स्थानीय केबल आपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले फ्री-टू-एयर चैनलों की अधिकतम संख्या के साथ आधारभूत सेवा टियर के लिए टैरिफ ;

(घ) अधिसूचित क्षेत्रों में अभिदाताओं को मल्टी-सिस्टम आपरेटरों/स्थानीय केबल आपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की क्वालिटी के लिए विनियम ।

10. चैनलों की प्रकृति और कीमत : (1) प्रत्येक प्रसारणकर्ता अपने चैनलों में से प्रत्येक की प्रकृति की घोषणा करेगा कि वह 'पे' चैनल या 'फ्री-टू-एयर चैनल' है तथा साथ में अधिसूचित क्षेत्रों में से प्रत्येक में अभिदाताओं से मल्टी सिस्टम आपरेटर/स्थानीय केबल आपरेटर द्वारा प्रभारित किए जाने वाले अपने प्रत्येक 'पे' चैनल की अधिकतम फुटकर कीमत की भी घोषणा करेगा ।

(2) प्रत्येक प्रसारणकर्ता उपधारा (1) के अधीन चैनलों की प्रकृति और कीमत की घोषणा प्राधिकरण और केन्द्रीय सरकार के समक्ष अधिनियम की धारा 4क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख के पंद्रह दिन के भीतर फाइल करेगा ।

(3) यदि प्राधिकरण की राय में प्रसारणकर्ता द्वारा अपने किसी 'पे' चैनल की बाबत घोषित की गई कीमत बहुत अधिक है तो प्राधिकरण, भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनयम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 के अधीन ऐसे 'पे' चैनल के लिए अधिकतम फुटकर कीमत और ऐसे सभी 'पे' चैनलों के लिए सामान्य अधिकतम फुटकर कीमत नियत और घोषित कर सकेगा जिसके भीतर प्रसारणकर्ता प्रत्येक 'पे' चैनल के लिए किसी अधिसूचित क्षेत्र में अभिदाताओं द्वारा संदत्त की जाने वाली अपनी व्यष्टिक कीमतें घोषित कर सकेगा और प्राधिकरण का ऐसा आदेश प्रसारणकर्ताओं और मल्टी सिस्टम आपरेटरों/स्थानीय केबल आपरेटरों पर आबद्धकारी होगा ।"

(4) प्रत्येक प्रसारणकर्ता मानक अंतःसंबंध करार के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में मल्टी सिस्टम आपरेटर के साथ या प्राधिकरण के विनियमों/निदेशों/आदेशों के अनुसार अविभेदकारी आधार पर किसी पारस्परिक करार उपांतरणों सहित अंतःसंबंध करार करेगा ।

(5) यदि कोई प्रसारणकर्ता उपनियम (2) के अधीन विहित की गई समय सीमा के भीतर अपने पे चैनल की कीमत घोषित करने में असफल रहता है या इंकार करता है या उपनियम (3) के अधीन निदेशों का पालना करने में असफल रहता है या इंकार करता है या नियम 11के उपनियम (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात मल्टी सिस्टम आपरेटर के साथ प्राधिकरण द्वारा यथाविहित समय सीमा के भीतर अंतःसंबंध करार करने में असफल रहता है तब प्राधिकरण अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए सिंगनल की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम उपाय करेगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों का प्रसारणकर्ता द्वारा अपालना करने की दशा में, केंद्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिशों पर, देश में या उसके किसी भाग में उस चैनल के प्रसारण को यथास्थिति अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अभिदाता को दी गई मंजूरी को निलंबित कर सकेगा ।

(7) प्रसारणकर्ता द्वारा उपनियम (1) के अधीन फाइल किया गया प्रत्येक घोषणापत्र या किसी प्राधिकारी द्वारा उपनियम (3) के अधीन नियत अधिकतम फुटकर कीमत, यथास्थिति, ऐसी घोषणा या नियतन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सामान्यतया विधिमान्य रहेगी, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि प्रत्येक प्रसारणकर्ता मल्टी सिस्टम आपरेटर और अभिदाताओं को एक महीने का नोटिस देते हुए किसी चैनल की कीमत को पुनरीक्षित करने या किसी पे चैनल को फ्री टू एयर में परिवर्तित करने या किसी फ्री टू एयर चेनल को पे चैनल में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र होगा परंतु ऐसी कीमत में ऐसी अभिवृद्धि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यष्टि सीमा से, यदि कोई हो, परे नहीं होगी, यह प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना विधिमान्य होगी :

परंतु यह और कि ऐसी कीमत की अभिवृद्धि प्राधिकरण द्वारा नियत सभी चैनलों के लिए साधारण अधिकतम फुटकर कीमत से परे विधिमान्य नहीं होगी ।

11. अधिसूचित क्षेत्रों में संबोध्य प्रणालियों सहित केबल सेवाओं को प्रदान करने के लिए मल्टी सिस्टम आपरेटरों को अनुज्ञा देना :-(1) कोई मल्टी सिस्टम आपरेटर नियम 11 के उपनियम (3) के अधीन केंद्रीय सरकार से विधिमान्य अनुज्ञा के बिना किसी एक या उससे अधिक अधिसूचित क्षेत्रों में संबोध्य प्रणालियों सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाएं प्रदान नहीं करेगा ।

(2) किन्हीं अधिसूचित क्षेत्रों में संबोध्य प्रणालियों सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवा प्रदान करने के लिए इच्छुक प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचनाओं के जारी होने के तीस दिन के भीतर दस हजार रुपए की प्रक्रिया फीस सहित इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा ।

(3) भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर आवेदक को अधिसूचित क्षेत्रों में संबोध्य प्रणालियां प्रदान करने के लिए अनुज्ञा, उसके विद्यमान प्रचालन क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक क्षेत्र में अपने अभिदाताओं की वास्तविक संख्या और स्थानीय केबल आपरेटरों के पते, प्रसारणकर्ताओं और स्थानीय केबल आपरेटरों के साथ वाणिज्य ठहरावों, यदि कोई हों, वित्तीय स्थिति, प्रबंध क्षमता, प्रतिभूति समाशोधन और अपने अभिदाताओं के लिए सेट टाप बाक्सों की पर्याप्त संख्या प्रदाय करने और उनके रख-रखाव की तैयारी, अपने अभिदाता प्रबंध प्रणाली के अधिष्ठापन और प्राधिकरण द्वारा यथाविहित सभी अन्य सेवा मानकों के अनुपालन के आधार पर उसकी उपयुक्तता या अन्यथा पर विचार करने के पश्चात् दे सकेगा या इंकार कर सकेगा ।

(4) केंद्रीय सरकार उपनियम (3) के अधीन ऐसे निबंधन और शर्तें अधिकथित कर सकेगी, जो इस अधिनियम और प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों, निदेशों और किए गए आदेशों के उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और वांछनीय समझे जाएं ।

(5) केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति अभिप्राप्त किए बिना कोई मल्टी सिस्टम आपरेटर अधिसूचित क्षेत्रों में उनके लिए तारीख अधिसूचित होने के पश्चात्, किन्हीं केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाओं का प्रदान करना चालू नहीं रखेगा ।

(6) यदि कोई मल्टी सिस्टम आपरेटर पे चैनल के किसी प्रसारण कर्ता से या अधिसूचित क्षेत्र में स्थानीय केबल आपरेटरों की पर्याप्त संख्या के साथ अंतःसंबंध करार करने में असफल रहता है या इंकार करता है या प्राधिकरण द्वारा यथा विहित समय सीमा के भीतर उप नियम (3) के अधीन उसको प्रदत्त अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्राधिकरण अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए सिग्नलों के प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम उपाय कर सकेगा ।

(7) केन्द्रीय सरकार, मल्टी सिस्टम आपरेटर उप नियम (3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा के एक या अधिक निबंधन या शर्तों के अतिक्रमण किए जाने की दशा में, ऐसी अनुज्ञा को, ऐसी अवधि और ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों के लिए, जो वह उचित समझे, निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकेगी :

परंतु निलंबन या प्रतिसंहरण का ऐसा आदेश मल्टी सिस्टम आपरेटर को उसकी स्थिति स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगा ।

12. **सशर्त अभिगमन प्रणाली स्कीम के बारे में जन चेतना अभियान** (1) प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर, जिसको नियम 11 के उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए या तो प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापनों के द्वारा या अन्य उपायों (जैसे पर्णक, रसीदों के पीछे मुद्रण, अभिदाताओं या उपभोक्ता समूहों आदि के साथ व्यक्तिगत मुलाकात, समूह बैठकें), अभिदाताओं के मध्य लोक चेतना पैदा करेगा । प्राधिकारी द्वारा, अधिसूचित क्षेत्रों में मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा कार्यान्वयन के लिए **सशर्त अभिगमन प्रणाली** स्कीम के मुख्य तथ्य और विशिष्टतः निम्नलिखित है :-

(क) ए-ला-कार्ट अभिदान दरें और समय-समय के अंतराल जिन पर ऐसे अभिदान विभिन्न पे चैनलों की प्राप्ति के लिए संदेय हैं ।

(ख) प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप और सेट-टाप बाक्स के लिए दैनिक या मासिक किराया संदेय और इसके विस्तृत विनिर्देश जैसे मेक, माडल, तकनीकी विनिर्देश, उपयोक्ता मैनुअल और अनुरक्षण केन्द्र आदि ।

(ग) फ्री-टू-एयर चैनलों की संख्या और नाम, जिनको मल्टी सिस्टम आपरेटर अभिदाताओं को प्रदान करेंगे और प्राइम/अप्राइम बैंडों में प्रत्येक चैनल का विनिर्दिष्ट स्थानन ।

(घ) प्राधिकारी द्वारा नियम आधारिक सेवा टिअर की प्राप्ति के लिए प्रत्येक अभिदाता द्वारा संदत्त किए जाने वाले विहित मासिक सेवा प्रभार और मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा प्रस्थापित किया गया अतिरिक्त फ्र-टू-एअर चैनलों की संख्या, यदि कोई हो ।

(ङ) प्राधिकारी द्वारा विहित सेवा मानकों की गुणवत्ता और इन मानकों के अनुसरण में मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा किए गए इंतजाम ।

(च) सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एस एम एस), जो मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा सेट बाक्सों के कृत्यों का प्रदर्शन करने के लिए और अभिदाताओं को इसके निर्बाध कार्यान्वयन के लिए विभिन्न वित्तीय, संभार तंत्र और तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए, गठित की गई है ।

(छ) मल्टी सिस्टम आपरेटर/ स्थानीय केबल आपरेटर (आपरेटरों) और अभिदाताओं के बीच सेवा की गुणवत्ता, मानकों संदायों और प्रतिदायों आदि के संबंध में विवादों के समाधान के लिए विद्यमान इंतजाम ।

(2) प्राधिकारी भी, अधिसूचित क्षेत्रों मे या तो सीधे या प्राधिकृत अधिकारियों या उपभोक्ता संगठनों आदि के द्वारा जन चेतना गतिविधियों का इंतजाम कर सकेगा ।

13. **सैट टॉप बॉक्स का प्रदाय और अधिष्ठापन** : (1) अधिसूचित क्षेत्र में प्रत्येक अभिदाता जो एक या अधिक पे चैनलों को प्राप्त करने की वांछा करते हैं वे नियम 12 के अधीन जन चेतना अभियान के दौरान या उसके अवसान के पश्चात् पंद्रह दिन तक किसी भी समय नियम 11 के उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदत्त किन्हीं मल्टी सिस्टम

आपरेटरों में से किसी को सीधे ही या अपने किसी लिंक केबल आपरेटर के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार अपने परिसरों में एक या अधिक सैट टॉप बॉक्स प्रदाय करने और अधिष्ठापित करने के लिए आवेदन कर सकेगा और उसके माध्यम से अपेक्षित चैनलों का परिदान किया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक अभिदाता खुले बाजार से अनुमोदित क्वालिटी का सैट टॉप बॉक्स क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उपलब्ध हों और मल्टी सिस्टम आपरेटर प्रणाली के तकनीकी रूप से अनुरूप हों तथा कोई मल्टी सिस्टम आपरेटर या केबल आपरेटर किसी अभिदाता को केवल उससे ही किराए पर सैट टॉप बॉक्स क्रय करने या लेने के लिए विवश नहीं करेगा ।

(2) अधिसूचित क्षेत्र में प्रत्येक अभिदाता जो एक या अधिक पे चैनलों को प्राप्त करने की वांछा करते हैं और वे उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन विहित अवधि के भीतर आवेदन करने में असफल रहते है वे किसी समय खुले बाजार से अनुमोदित क्वालिटी का सैट टॉप बॉक्स क्रय कर सकेंगे यदि उपलब्ध हों और मल्टी सिस्टम आपरेटर प्रणाली के तकनीकी रूप से अनुरूप हों या वे नियम 11 के उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदत्त या किसी मल्टी सिस्टम आपरेटर में से किसी को सीधे ही या अपने किसी लिंक केबल आपरेटर के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार अपनी परिसरों में एक या अधीक सैट टॉप बॉक्स प्रदाय करने और अधिष्ठापित करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यथास्थिति वही स्वयं या आवेदक द्वारा स्वतः अर्जित अनुमोदित क्वालिटी को सैट टॉप बॉक्स के माध्यम से अपेक्षित चैनलों का परिदान कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से प्राधिकारी द्वारा विनियम या आदेश द्वारा अवधारित की जाए उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदक के परिसरों में अनुमोदित क्वालिटी की अपेक्षित संख्या में सैट टॉप बॉक्सों का उपापन करेगा, प्रदाय करेगा, और अधिष्ठापन करेगा और यथास्थिति वही स्वंय या आवेदक द्वारा स्वतः अर्जित अनुमोदित क्वालिटी के सैट टॉप बॉक्स के माध्यम से अपेक्षित पे चैनल पारेषित करेगा ।

(4) प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर ऐसी समय अवधि के भीतर जो प्राधिकारी द्वारा विनिमय या आदेश द्वारा अवधारित की जाए अभिदाता को, पे चैनलों, बिल चक्र, प्रतिदाय आदि के लिए अभिलिखित करके और व्यष्टिक अधिमानता उपलब्ध कराके और दक्ष और त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अपनी अभिदाता प्रबंध प्रणाली स्थापित करेगा और उसका प्रचालन करेगा ।

(5) उस दशा में जब कोई मल्टी सिस्टम आपरेटर उपनियम (1) के अधीन एक या अधिक आवेदकों के परिसरों में सैट टॉप बॉक्स प्रदाय करने और अधिष्ठापित करने में या प्राधिकारी द्वारा यथा विहित समय अवधि के भीतर अभिदाता प्रबंध प्रणाली को प्रचालित करने में असफल रहता है तब प्राधिकारी अभिदाताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए सिग्नलों का प्रदाय सुनश्चित करने के लिए अंतरिम उपाय कर सकेगा ।

14. विवाद समाधान तंत्र : प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर मानकों के अनुसार सेवा की क्वालिटी बनाए रखने के लिए आबद्ध होगा, जिसके अंतर्गत परिवादों पर कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था और अभिदाताओं की शिकायतों का समाधान जो प्राधिकारी द्वारा विनिमय या आदेश द्वारा अवधारित किए जाएं है । प्राधिकारी ऐसी व्यवस्थाओं की क्षमता की देखभाल करेगा और अनुपालन के लिए संबद्ध पक्षकारों को आवश्यक निदेश देगा ।

15. संबोध्य प्रणाली का संक्रमण : (1) अभिदाता प्रबंध प्रणाली के आरंभ होने पर तुरंत और उपरोक्त नियम (13) के अधीन सैट टॉप बॉक्सों के अधिष्ठापन पर प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर पे चैनलों को एनक्रिप्टड और अनइनक्रिप्टड रूप में सेवा की क्वालिटी की जांच करने के लिए 15 दिन से अन्यून की अवधि के लिए पै चैनल पारेषित करना आरंभ करेगा किसी तकनीकी या प्रचालनात्मक कमी को दूर करने तथा अभिदाता को स्वयं ही प्रस्तुत प्रणाली के प्रचालन से परिचित होने के लिए समर्थ बनाएगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन संक्रमणकालीन अवधि के आरंभ होने के पूर्व, प्राधिकरण, इन नियमों से संलग्न प्ररूपों में सेवा प्रदाताओं से प्रगति या अनुपालन रिपोर्ट मांग सकेगा और उन अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपना समाधान करने के लिए कि नियम 11 की उपधारा (3) के अनुज्ञात सभी मल्टी सिस्टम आपरेटरों ने अधिनियम की धारा 4क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक, संपूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में संबोध्य

प्रणाली के माध्यम से पे चैनलों के पारेषण को स्विच ओवर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है ।

(3) सभी व्यवस्थाओं के समाधानप्रद अनुपालन की दशा में अधिसूचित क्षेत्र का प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर अधिनियम की धारा 4क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से केवल संबोध्य प्रणाली के माध्यम से ही पे चैनलों का पारेषण आरंभ करेगा ।

(4) प्राधिकारी के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा में कि मल्टी सिस्टम आपरेटर द्वारा की गई व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है और समबोध्य प्रणाली के माध्यम से पे चैनलों के पारेषण का स्विच ओवर किसी अधिसूचित क्षेत्र के अभिदाताओं के बड़े भाग के वास्तविक हितों के विरुद्ध होगा, प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से अधिसूचित तारीख को, उस अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में मल्टी सिस्टम आपरेटरों द्वारा आवश्यक व्यवस्थाओं को समाधानप्रद रूप से पूरा करने के लिए न्यूनतम रूप से अपेक्षित है ।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्राधिकारी से सिफारिश की प्राप्त होने पर और अधिसूचित तारीख की समाप्ति से पहले, केन्द्रीय सरकार, यदि अपना यह समाधान कर लेती है कि अधिसूचित तारीख को संबोध्य प्रणाली को स्विच ओवर करना लोकहित में नहीं है और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि अधिसूचित क्षेत्र में अभिदाताओं के हितों की संरक्षा के लिए, अधिसूचित तारीख को बढ़ाना आवश्यक है, तो अधिनियम की धारा 4(क) के अधीन पुनरीक्षित तारीख उपदर्शित करते हुए दूसरी अधिसूचना जारी कर सकेगी ।

परंतु यह कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, धारा 4क के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ. 792(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 द्वारा पहले से ही अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित लैटर्स पेटेंट अपील संख्या 985/2006 और सिविल मामला संख्या 6660/2006 तथा 6618/2006 के आदेशों और अंतिम निष्कर्ष के अध्यधीन होगी ।

(6) प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर विस्तृत अवधि को दौरान शेष व्यवस्था पूरी कर लेगा और ऐसा उपरोक्त उपनियम (5) के अधीन यथा अधिसूचित पुनरीक्षित ऐसी तारीख से संबोध्य प्रणाली के माध्यम से पे चैनलों का पारेषण आरंभ कर देगा ।

(ii) मूल नियमों में प्ररूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप 6

[नियम 11(2) देखिए]

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

मल्टी सिस्टम आपरेटरों को किसी एक या अधिक अधिसूचित क्षेत्रों में संबोध्य प्रणाली के साथ केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुज्ञा दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप ।

सेवा में,

सचिव,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001.

विषय : मल्टी सिस्टम आपरेटरों को किसी एक या अधिक अधिसूचित क्षेत्रों में संबोध्य प्रणाली के साथ केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुज्ञा दिए जाने के लिए आवेदन ।

महोदय,

मैं अनुज्ञा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूं ।

1.(क) आवेदक का नाम (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय)**

(ख) स्थापन की आयु / तारीख/ निगमन की तारीख

2.(क) राष्ट्रिकता (व्यष्टिक आवेदकों/व्यष्टियों के निकाय के लिए)

(ख) जन्म से/ निवास से

3. प्रक्रिया संबंधी फीस के संदाय का ब्यौरा

4. केबल आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा

(क) उस डाकघर का नाम जिसमें रजिस्ट्रीकृत हैं

(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या/वैधता की अवधि

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (संलग्न करें)

5. दूरभाष/फैक्स सं./ई-मेल आईडी सहित पूरा डाक का पता

(क) निगम कार्यालय/ मुख्यालय

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

(ग) प्रादेशिक कार्यालय

(घ) पत्राचार का पता

6. प्राधिकृत सम्पर्कयोग्य व्यक्ति का नाम, उसका पदाभिधान और दूरभाष/फैक्स सं./ई-मेल आईडी

7. * कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा : निगमन संख्या और तारीख

(निगमन प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद की प्रति संलग्न करें)

8. * निदेशक बोर्ड (प्रत्येक निदेशक की जन्मतिथि, जन्मस्थान, माता-पिता, राष्ट्रिकता, स्थायी पता, निवास का पता, कार्यालय पता, पासपोर्ट संख्या, यदि कोई हो, अर्हता, अनुभव आदि सहित बायोडाटा सहित निदेशकों की सूची)

9. * ऊपर 8 में जो ब्यौरे दिए गए हैं उनके साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सहित प्रमुख कार्यपालकों की सूची संलग्न करें ।

10. *(i) प्राधिकृत शेयर पूंजी, (ii) समादत्त शेयर पूंजी, (iii) शुद्ध मूल्य (ठीक पूर्व वर्ष के लिए संपरीक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इन दस्तावेजों के आधार पर दिए गए शुद्ध मूल्य के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

11. निधियों की उपलब्धता/व्यवस्था का ब्यौरा (पर्याप्त सबूत संलग्न करें)

12. (i) आपरेशन का वर्तमान क्षेत्र (यदि एक से अधिक शहर से अधिक है तो शहर वार ब्यौरा दिया जाए)

(ii) सीएएस अधसूचित क्षेत्र या आवेदक द्वारा प्रचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (यदि एक से अधिक शहर से अधिक है तो शहर वार ब्यौरा दिया जाए)

13. अनऐनक्रप्टेड रूप में उपलब्ध कराए जाने वाले चैनलों की संख्या (स्वयं के/प्रसारणकर्ताओं के) (स्वयं के चैनलों और प्रसारणकर्ताओं के चैनलों के पृथक रूप से नाम दें)

14. प्रदान की जा रही अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं (उनकी अनुज्ञप्तियों के प्रतियों के साथ ब्यौरा दें)

IndiaCode

15. स्थानीय केबल आपरेटरों और उनके अभिदाताओं की कुल संख्या (केबल आपरेटरों की, उनके दूरभाष सं./फैक्स सं./ई-मेल आईडी सहित, सूची तथा प्रत्येक केबल आपरेटरों के अभिदाताओं की संख्या की सूची संलग्न करें;

16. पूर्व के अनुभव/कार्यकलाप के क्षेत्र का ब्यौरा ।

17. अभिदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में सैट टॉप बॉक्स प्रदाय करने और उनके अनुरक्षण की तैयारी तथा सामने अभिदाता प्रबंध प्रणाली का स्थापन (अपने दावे को सिद्ध करने के लिए पहले से उपलब्ध सैट टॉप बॉक्सों की संख्या/विक्रय सेवा के पश्चात् प्रदाय और प्रदान करने के लिए दिए गए आदेशों/प्राधिकृत व्यक्तियों/अभिकर्ताओं का नेटवर्क सहित)

18. सीएएस स्कीम के अधीन प्रसारणकर्ताओं के साथ उनके चैनल प्रदाय करने के लिए हस्ताक्षरित करारों की संख्या (प्रसारणकर्ताओं और उनके चैनलों के नाम दें जिनके लिए करार हस्ताक्षरित किए गए हैं तथा अपने दावे को सिद्ध करने के लिए करारों की प्रतियां भी दें)

19. प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में सीएएस स्कीम का विस्तृत प्रचार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है/की जाने के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाएं जिनका प्राधिकृत द्वारा अनुमोदन किया गया है (पूरा ब्यौरा दें)

मैं/हम आवेदक ** (व्यष्टि/ फर्म/ कंपनी/ व्यक्तियों का संगम/ व्यष्टियों का निकाय) एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए तथ्य सभी पहलुओं में सही हैं ।

मैं/हम एतद्द्वारा उन सभी शर्तों/निदेशों/आदेशों द्वारा आबद्ध होने का वचन देते हैं जो केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी अधिसूचित क्षेत्रों में सीएएस स्कीम के अबाध कार्यान्वयन/प्रचालन के लिए अधिकथित/जारी किए जाएं ।

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

**(व्यष्टि/ फर्म/ कंपनी/ व्यक्तियों का संगम/ व्यष्टियों का निकाय)

स्थान नाम

तारीख पता

*आवेदक के कंपनी/फर्म होने की दशा में दिया जाए

** जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें ।

[फा. सं. 9/16/2004-बीपीएंडएल (खंड IV)]

एन. बैजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । इन नियमों में तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे :–

(i) सा.का.नि 459(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 1996 ;

(ii) सा.का.नि. 710 (अ) तारीख 8 सितंबर 2000;

(iii) सा.का.नि 459(अ) तारीख 6 जून, 2003;

(iv) सा.का.नि 715 (अ) तारीख 8 सितम्बर, 2003

(v) सा.का.नि. 282 (अ) तारीख 11 मई, 2006

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2006

G.S.R. 452(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Second Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2 , -

(i) clause (a) shall be renumbered as clause (aaaa) and before clause (a) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) " Act" means the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995);".

(aa) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24of 1997);

(aaa) "Broadcaster" means any person including an individual, group of persons, public or body corporate, firm or any organization or body who or which is providing programming services and includes his or her authorized distribution agencies;"

(ii) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely :-

"(ee) "Multi-System Operator (MSO)" means a cable operator who receives a programming service from a broadcaster or his authorized agencies and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators (LCOs), and includes his authorized distribution agencies by whatever name called;

(eee) "Notified area" means any area notified by the Central Government under section 4A of the Act;"

52 GI/06-3

IndiaCode

2. In the principal rules, in rule 7, after sub-rule (10), the following shall be inserted, namely:-

"(11) No programme shall carry advertisements exceeding twelve minutes per hour, which may include up to ten minutes per hour of commercial advertisements, and up to two minutes per hour of a channel's self-promotional programmes."

3. (i) In the principal rules, for rules 9, 10, 11, 12, 13 and 14, the following rules shall be substituted, namely:-

"9. Standard interconnection agreements, tariffs and quality of service standards for the service providers in the areas notified under section 4A of the Act.- The Authority may, on issue of any notification under section 4 A of the Act by the Central Government, take appropriate decisions on the following aspects and duly notify the -

(a) standard interconnection agreement to be used for entering into commercial agreements for distribution in the notified areas, of pay or free-to-air channels among (i) broadcasters and multi - system operators; and (ii) multi-system operators and local cable operators;

(b) the maximum limits of security deposit and monthly rental for supply, maintenance and servicing of set top boxes of prescribed specifications to the subscribers on rental basis by multi-system operators in the notified areas;

(c) tariff for the basic service tier along with the minimum number of free-to-air channels to be provided by the multi-system operators or local cable operators to the subscribers in the notified areas;

(d) regulations for quality of service to be provided by the multi- system operators or local cable operators to the subscribers in the notified areas;

10. Nature and prices of channels.- (1) Every broadcaster shall declare the nature of each of its channels as 'pay' or 'free-to-air' channel as well as the maximum retail price of each of its 'pay' channels to be charged by the multi-system operators or local cable operators from the subscribers in each of the notified areas.

(2) Every broadcaster shall file his declaration of the nature and prices of channels under sub-rule (1) before the Authority and the Central Government within fifteen days of the date of notification by the Central Government under section 4 A of the Act.

(3) If in the opinion of the Authority, the price declared by the broadcaster in respect of any of its pay channels is too high, the Authority may, under section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), fix and declare the maximum retail price of such a pay channel or fix a general maximum retail price for all pay channels within which the broadcasters may declare their individual prices for each pay channel, to be paid by the subscribers in any of the notified areas, and such an order of the Authority shall be binding on the broadcasters and the multi-system operators and local cable operators.

(4) Every broadcaster shall enter into interconnection agreements with multi-system operators in the notified areas as per the standard interconnection agreement, or with any mutually agreed modifications on a non-discriminatory basis, as per the regulations or directions or orders of the Authority.

(5) If a broadcaster fails to declare the price of any of its pay channels within the prescribed time limit under sub-rule (2) or refuses or fails to comply with the direction under sub-rule (3) or refuses or fails to enter into an interconnect agreement with a multi-system operator permitted by the Central Government under sub-rule (3) of rule 11 within the time limit as prescribed by the Authority, then the Authority may, so as to protect the interests of the subscribers, take interim measures to ensure supply of signals.

(6) In the event of non-compliance by the broadcaster of the directions issued by the Authority under sub-rule (5), the Central Government may, on the recommendations of the Authority, suspend the permission granted to the broadcaster under uplinking or downlinking guidelines as the case may be, to broadcast that channel in the country or any part thereof.

(7) Every declaration filed by the broadcaster under sub-rule (1) or maximum retail price fixed by the Authority under sub-rule (3) shall normally remain valid for a period of one year from the date of such declaration or fixation, as the case may be, subject to the condition that every broadcaster will be free to revise the price of any channel or convert a pay channel to free-to-air or a free-to-air channel to a pay channel by giving one month's notice to the multi-system operator and subscribers:

Provided that no increase in price beyond the individual limit, if any, specified by the Authority, shall be valid without prior approval of the Authority:

Provided further that no such price increase shall be valid beyond the general maximum retail price for all channels fixed by the Authority.

11. Grant of permission to multi-system operators to provide cable services with addressable systems in the notified areas.- (1) No multi-system operator shall provide cable television network services with addressable systems in any one or more notified areas without a valid permission from the Central Government under sub-rule (3) of rule 11.

(2) Every multi-system operator who desires to provide cable television network services with addressable systems in any of the notified areas, shall, within thirty days of the issue of the notifications under section 4 A of the Act by the Central Government, apply for permission to the Ministry of Information and Broadcasting in Form 6 annexed to these rules, along with processing fee of rupees ten thousand.

(3) The Ministry of Information and Broadcasting in the Government of India shall, within thirty days of the receipt of the application, grant, or refuse, permission to the applicant to provide addressable systems in the notified areas after considering its suitability or otherwise on the basis of information given in respect of its existing operational area, actual number of subscribers and addresses of its local cable operators in each of the notified areas, commercial arrangements with the broadcasters and local cable operators, if any, financial strength, management capability, security clearance and preparedness to supply and maintain adequate number of set top boxes for its subscribers, installation of its subscriber management system and compliance with all other quality of service standards as may be specified by the Authority.

(4) The Central Government may lay down such terms and conditions of permission under sub-rule (3) as may be deemed necessary and desirable to ensure compliance with the provisions of this Act and the regulations, directions and orders made by the Authority.

(5) No multi- system operator shall continue to provide any cable television network services in the notified areas after the date notified therein, without obtaining prior permission from the Central Government.

(6) In the event of a multi-system operator who fails or refuses to enter into an interconnection agreement with a broadcaster of a pay channel or an adequate number of local cable operators in the notified areas or who violate the terms and conditions of the permission granted to it under sub-rule (3), within the time limit as prescribed by the Authority, the Authority may, so as to protect the interests of the subscribers, take interim measures to ensure supply of signals.

(7) In the event of violation by a multi-system operator of one or more of the terms and conditions of the permission granted under sub-rule (3), the Central Government may

suspend or revoke such permission for such period and for such notified areas as it deems fit:

Provided that no such order of suspension or revocation shall be made without giving a reasonable opportunity to the multi-system operator to explain its position.

12. Public awareness campaign about Conditional Access System scheme.- (1) Every multi-system operator granted permission under sub-rule (3) of rule 11 shall create public awareness among the subscribers in the notified areas for a period of thirty days from the date to be specified by the Authority, either through advertisements in the print and electronic media or through other means (e.g. leaflets, printing on the reverse of the receipts, personal visits, group meetings with subscribers or consumer groups etc.) the salient features of the Conditional Access System scheme as approved by the Authority for implementation, by the multi system operator, in the notified areas, and in particular the following:-

(a) A-la-carte subscription rates and the periodic intervals at which such subscriptions are payable for receiving the various pay channels;
(b) The refundable security deposit and the daily or monthly rental payable for the set-top box and its detailed specifications such as make, model, technical specifications, user manuals and maintenance centers etc.;
(c) The number and names of free-to-air channels that the multi-system operator will provide to the subscribers and specific placement of each channel in the prime or non-prime bands;
(d) The prescribed monthly service charge to be paid by each subscriber for receiving the basic service tier fixed by the Authority and the number of additional free-to-air channels, if any, offered by the Multi-System Operator;
(e) The Quality of Service Standards specified by the Authority and the arrangements made by the Multi-System Operator to comply with these standards;
(f) The Subscriber Management System established by the multi-system operator to demonstrate the functioning of the Set Top Boxes and interact with the subscribers to explain the various financial, logistic and technical aspects of the system for its smooth implementation;
(g) The subsisting arrangements for resolution of disputes between the multi-system operator and local cable operators and the subscribers in respect of the quality of service standards, payments and refunds etc.

(2) The Authority may also arrange public awareness activities in the notified areas either directly or through authorized officers or consumer organizations etc..

13. Supply and installation of Set Top Boxes .- (1) Every subscriber in the notified areas who desires to receive one or more pay channels shall, during the public awareness campaign under rule 12 or within fifteen days after its expiry, apply to any one of the multi-system operators granted permission under sub-rule (3) of rule 11 either directly or through any of his linked local cable operators, to supply and install one or more set top boxes in his premises as per the scheme approved by the Authority and deliver the requisite channels through the same:

Provided that every subscriber shall be free to buy a Set Top Box of approved quality from the open market, if available and technically compatible with the multi-system operator's system, and no multi-system operator or cable operator shall force any subscriber to buy or to take on rent the set top box from him only.

(2) Every subscriber in the notified areas who desires to receive one or more pay channels, and who failed to apply within the period prescribed under sub-rule (1) may at any time either buy a set top box of approved quality from the open market, if available and technically compatible with the multi-system operator's system, or apply to any one of the multi-system operators granted permission under sub-rule (3) of rule 11 either directly or through any of his linked local cable operators, to supply and install one or more set top boxes in his premises as per the scheme approved by the Authority and deliver the requisite channels through the same or through the set top box of approved quality acquired by the applicant on his own, as the case may be.

(3) Every multi-system operator shall procure, supply and install the required number of set top boxes of approved quality in the premises of every applicant under sub-rule (1) or sub-rule (2) within a period as may be determined by regulation or order by the Authority from the date of receipt of such application, and transmit the requisite pay channels through the same or through the set top box of approved quality acquired by the applicant on his own, as the case may be.

(4) Every multi-system operator shall set up and operationalise its subscriber management system within a time frame as may be determined by regulation or order by the Authority, for ensuring efficient and error-free service to the subscribers by recording and providing individualized preferences for pay channels, billing cycles, refunds etc..

(5) In the event of the failure of any multi-system operator to supply and install a set top box each in the premises of one or more applicants under sub-rule (1) or to operationalise subscriber management system within the time limit as determined by regulation or order by the Authority, then the Authority may, so as to protect the interests of the subscribers, take interim measures to ensure supply of signals.

14. Dispute Resolution Mechanism. - Every multi-system operator shall be obliged to maintain the quality of service as per the standards, including the arrangements for handling complaints and redressal of grievances of the subscribers, as may be determined by regulation or order by the Authority. The Authority may look into the efficacy of such arrangements and issue necessary directions to the concerned parties for compliance.

15. Transition to addressable systems.- (1) Immediately on operationalisation of the subscriber management system and the installation of the set top boxes under rule 13, every multi-system operator shall start transmitting the pay channels in encrypted as well as unencrypted form for a period of not less than fifteen days to test out the quality of service, remove any technical or operational snags and enable the subscribers to become familiar with the operation of addressable systems at their end.

(2) Before the start of the transition period under sub-rule (1), the Authority may call for progress or compliance reports from the service providers in the Forms appended to these rules, and at intervals, as may be specified by it to satisfy itself that all the multi-system operators permitted under sub-rule (3) of rule 11 have completed all the necessary arrangements to switch over to transmission of pay channels through addressable systems in the whole of the notified area by the date notified by the Central Government under section 4A of the Act.

(3) In the event of satisfactory completion of all arrangements, every multi-system operator in the notified area shall start transmitting pay channels only through addressable systems from the date notified by the Central Government under section 4A of the Act.

(4) In the event of the Authority coming to a conclusion that the arrangements made by the multi-system operators are not adequate and the switch over to transmission of pay channels through addressable systems is likely to be against the interests of a substantial portion of the subscribers in any notified area, the Authority may recommend to the Central Government an extension of the notified date by such period as in its opinion is

the minimum required for the satisfactory completion of the necessary arrangements by the multi-system operators.

(5) On receipt of a recommendation from the Authority under sub-rule (4), and before the expiry of the notified date, the Central Government may, if it is satisfied that it is not in public interest to switch over to addressable systems on the notified date and that circumstances so warrant to extend the notified date to protect the interests of a substantial portion of subscribers in the notified area, issue another notification indicating the revised date under section 4 A of the Act:

Provided that the power to issue notification in respect of the areas already notified by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting under section 4 A of the Act vide number S. O. 792 (E) dated the 10th July, 2003 shall be subject to the orders and final outcome of the LPA No. 985/2006 & CMs 6660/2006 and 6658/2006 pending in the High Court of Delhi.

(6) Every multi-system operator shall complete the remaining arrangements within such extended period and start transmitting the pay channels only through addressable systems from such revised date as notified under sub-rule (5) ."

(ii) In the Principal rules, for Form 6, the following Form shall be substituted, namely: -

"Form 6
[See rule 11 (2)]
(To be submitted in duplicate)

Form of application for grant of permission to multi system operators to provide cable television network services with addressable system in any one or more Notified Area.

To

The Secretary
Ministry of Information & Broadcasting,
'A' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi – 110001.

Subject : Application for grant of permission to multi system operators to provide cable television network services with addressable system in any or more notified areas.

Sir.

I hereby submit the following details for grant of permission.

1.(a) Name of the Applicant (individual/firm/company/association of persons/body of individuals) **
(b) Age/Date of establishment/Date of Incorporation

2.(a) Nationality (for individual applicants/body of individuals)
(b) By birth/domicile

3. Details of payment of Processing Fee

4. Details of Registration as a Cable Operator
 (a) Name of the Post Office with which registered
 (b) Registration No./Validity up to
 (c) Copy of the Registration Certificate (enclose)

5. Complete Postal Address with Telephone/Fax No./E-mail ID
 (a) Corporate Office/Head Office
 (b) Registered Office
 (c) Regional Offices
 (d) Address of Correspondence

6. Name of authorized contact person, his designation and telephone/fax No./E-mail ID

7. *Registration detail under Companies Act, 1956: Incorporation No. and Date (Attach a copy of Certificate of Incorporation and Memorandum and Article of Associations)

8. *Board of Directors (Attach list of Directors along with bio-data of each Director giving date of birth, place of birth, parentage, nationality, permanent address, residential address, official address, passport No. (if any), qualification, experience, etc.

9. *Attach list of key executives including CEO/MD along with details as in 8 above.

10. *(i) Authorized Share Capital, (ii) Paid-up Share Capital, (iii) Net worth (enclose a copy of the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account for the immediate preceding year and certificate of Net Worth on the basis of these documents by a Chartered Accountant).

11. Details of availability/arrangement of funds (sufficient proof to be enclosed).

12. (i) Present Area of Operation (if in more than one city, city-wise details to be given).
(ii) CAS notified Area or Areas proposed to be covered by the applicant (if in more than one city, then city-wise details should be given)

13. No. of channels being provided in unencrypted form (own/broadcasters') (give names separately for own channels and broadcasters' channels).

14. Other value added services being provided (details along with their copies of licenses).

15. Total no. of each of local cable operators and subscribers covered (attach list of local cable operators with their telephone nos./fax nos./E-mail IDs and the number of subscribers each of the cable operators has with him.)

16. Details of past experience/field of activity.

17. Preparedness to supply and maintain adequate number of Set Top Boxes for the subscribers and installation of subscriber management system (give details to substantiate your claim including no. of Set Top Boxes already available/orders placed/network of authorized persons/agents to supply and provide after sales service).

18. Number of Agreements signed with broadcasters to supply their channels under CAS scheme (Give names of broadcasters and their channels for which agreements signed along with copies of agreements to substantiate your claim)

19. What arrangements have been made/proposed to be made to give wide publicity to CAS scheme in each of the notified areas, as approved by the Authority. (Give full details)

I/We, the applicant(s) **(individual/firm/company/association of persons/body of individuals) do hereby declare that the above facts are correct in all respects.

I/We hereby undertake to abide by all the conditions/directions/orders that the Central Government or the Authority may lay down/issue for the smooth implementation and operation of CAS scheme in the notified areas.

Signature of Applicant/Authorized person
**(individual/firm/company/association
of persons/body of individuals)

Place

Name

Date

Address

* To be given in case applicant is a Company/Firm

** Score out the word or words which are not applicable"

[F. No. 9/16/2004-BP&L (Vol. IV)]

N. BAIJENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 729(E), dated the 29th September, 1994 in the Gazette of India. These were subsequently amended, vide :—

(i) GSR 459(E) dated the 8th October, 1996

(ii) GSR 710(E) dated 8th September, 2000

(iii) GSR 459 (E) dated the 6th June, 2003

(iv) GSR 715(E) dated the 8th September, 2003

(v) GSR 282(E) dated the 11th May, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.